

**कृषि निदेशालय,
बिहार, पटना।**

पत्र संख्या-09/उपा0कीट0अनु0-23/2007 (खंड-II)

दिनांक

2019

कार्यालय आदेश

मेसर्स गोदरेज एग्रोभेट लि0, हरनाथका कारपोरेशन, 303 बी0, सुकृति कम्पलेक्स, एस0पी0 वर्मा रोड, पटना-01 से प्राप्त आवेदन प्रपत्र-II, कोषागार चालान एवं अन्य सुसंगत कागजातों तथा उप निदेशक, पौधा संरक्षण, पटना प्रमंडल, पटना से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 में निहित प्रावधानों एवं कीटनाशी (संशोधन) नियम 2018 के आलोक में प्रपत्र-III में निहित शर्तों के अधीन नवीकरण के साथ कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इनका प्रदत्त राज्यस्तरीय कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या-153 दिनांक 15.02.2008 एवं अनुज्ञप्ति संख्या-09 दिनांक 16.06.2017 है।

3. अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, (पौ0सं0) बिहार पटना/संबंधित उप निदेशक (पौ0सं0)/संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी तथा संबंधित सहायक निदेशक (पौ0सं0) को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

4. कीटनाशी अनुज्ञप्ति हेतु आवश्यक अभिलेख/प्रमाण पत्र जो सावधिक है, को पुनः ससमय प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

5. कीटनाशी अनुज्ञप्ति जिन शर्तों पर निर्गत किया गया है, उनमें से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में आपके अनुज्ञप्ति को निलंबित/रद्द की जा सकती है।

6. कीटनाशी नियमावली 1971 की धारा-10 सी0 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

ह0/-

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-.....

/कृ0, पटना, दिनांक

2019

प्रतिलिपि:- मेसर्स गोदरेज एग्रोभेट लि0, हरनाथका कारपोरेशन, 303 बी0, सुकृति कम्पलेक्स, एस0पी0 वर्मा रोड, पटना-01 को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह0/-

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2447

/कृ0, पटना, दिनांक

21/05/2019

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (शष्प) उपादान, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

✓(2) आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

3
कृषि निदेशक,
बिहार, पटना